

अन्वयन ~~बन~~ हुकम सिंह गादि बनाम माला सिंह गादि  
551 / 2016 अन्तर्गत धारा 212 RTA

प्रकरण संख्या ..... आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

दिनांक	न्यायालय संख्या
15/03/24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर सुनी गई। दौराने बहस प्राथमिण अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि प्रकरण में जारी अस्थापी निषेधाज्ञा दिनांक 07/10/2016 को मूलवाद के निर्णय तक स्थापी किया जावे। अप्राथमिण अधिवक्ता के द्वारा बहस में विवेदन किया कि प्रथम का प्राथना पत्र खारिज करमाया जावे। बहस पर मतन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत प्रकरण में तीनों बिन्दु थचा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एव अपूरणीय क्षति प्राथमिण अपने पत्र में साबित करने में असफल रहे है। लिहाजा प्राथमिण का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी निषेधाज्ञा दिनांक 07/10/16 निरस्त की जाती है। पत्र निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर